उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 03-परीक्षा/2022

सम्मिलित प्रवर /अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/04

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि 22-04-2022

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि –12-05-2022

आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि– 19-05-2022

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस/ शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12-05-2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा, जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से फीस/ शुल्क का समायोजन 12-05-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 19-05-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या- **03-परीक्षा/2022**, सम्मिलित प्रवर /अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/04 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद व खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, कुल 76 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्मिलित प्रवर /अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/04 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (**Preliminary Eligibility Test-PET-2021**) के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों कि मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा

निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभाँति समझ लें।

आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश

2.1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET-2021) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I. व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है।

II. ओ०टी०पी० के माध्यम से (Through O.T.P.)- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकता है।

2.2 आवेदन (Application)-

I. इस भाग में लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में दर्ज की गयी सभी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करेगा, तदुपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित करेगा।

III अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें;

IV. वेब पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही "अभ्यर्थी का आवेदन पत्र" प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा।

2.3 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा - 202 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त "Continue" बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.4 अन्य विवरण (Other Details) इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व आवास का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियां/ विवरणों को पूर्वावलोकन (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा।

2.5 फीस/ शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना (Fee Deposition & Final Submission of Application)-

I- अभ्यर्थी निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकता है। फीस/ शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgement Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ **Proceed To Download and print The Application Form** बटन प्रदर्शित होगा।

II- अभ्यर्थी **Proceed To Download and print The Application Form** को क्लिक कर अपना फार्म अंतिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।

III- ई-चालान के माध्यम से फीस/ शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस/ शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अन्तर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त पुनः फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकता है।

IV- यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान उपरोक्त नहीं कर पाता है तो वह फीस/ शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/ Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान कर सकता है।

V- अभ्यर्थी उपर्युक्त के अतिरिक्त Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर OTR रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर फीस/ शुल्क का भुगतान कर सकता है।

VI- अभ्यर्थी फीस/ शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त फीस/ शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

VII- <u>आवेदन फीस/ शुल्क</u>- ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस/ शुल्क का विवरण निम्नवत है-

क्र. सं.	श्रेणी	आवेदन फीस/ शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया फीस/ शुल्क	फीस/ शुल्क योग (आवेदन फीस/ शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया फीस/ शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00
5	दिव्यांगजन	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस/ शुल्क देय होगा।
- **अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा फीस/ शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।**
- **<u>मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस/ शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस/ शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।</u>**

2.6- <u>फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)</u>- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर OTR रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रिंट कर सकता है।

नोट- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन की निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

(I) अभ्यर्थी आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर PET रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित Modify Application बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा, तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का पूरा फार्म प्रदर्शित होगा।

(II) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. नाम में वर्तनी की गलती।
b. पिता के नाम में वर्तनी की गलती।
c. पत्राचार का पता।
d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H. आदि)।
e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
f. लिंग (जेन्डर)।
g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

(III) आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 19-05-2022 तक ही अनुमन्य है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- पदों का विवरण-

निम्नलिखित सारिणी-1 में विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैण्ड/ वेतनमान/ ग्रेड-पे	आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में	आरक्षणवार कुल रिक्त पदों का विवरण: अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1-	[illegible] अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ	[illegible] सहायक	35400-112400 लेवल-6	21-40	04	02		04	01	11	स्थायी/ अस्थायी
2		[illegible]	[illegible]	21-40	05	04	-	06	02	20	स्थायी/ अस्थायी
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21-40	11	02	00	08	04	45	स्थायी/ अस्थायी

4.1- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए वांछित अर्हता धारण करता है एवं वह एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने हेतु इच्छुक है, तो उसके द्वारा आवेदन के भाग-2 में वरीयतानुसार अपनी वरीयता को अंकित करते हुए सभी का चयन किया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क/फीस देय नहीं होगी।

4.2- आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं को भली प्रकार पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपर्युक्त पदों के पद के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं।

4.3- अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता धारित (Acquired) Yes/No करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4.4- उत्तर प्रदेश शासन के अद्यतन सम्बन्धी कार्मिक अधिनियमों/शासनादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप उपरोक्त आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

4.5- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

5- क्षैतिज आरक्षण का विवरण –

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभिन्न प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का आकलन कराया गया विवरण निम्नवत है -

सारिणी-2

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम		क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी		पदों की संख्या
1	[illegible]	[illegible]	1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित		20
			2	दिव्यांगजन	(क) दृष्टिबाधित	[illegible]
					(ख) श्रवण बाधित	[illegible]
					(ग) [illegible]	[illegible]
					(घ) [illegible]	[illegible]
					(ङ) [illegible]	20
			3	महिला		[illegible]
			4	[illegible]		[illegible]
			5	[illegible]		[illegible]
			6	[illegible]		[illegible]
2		[illegible]	[illegible]	दिव्यांगजन	(क) [illegible]	[illegible]
					(ख) [illegible]	[illegible]
					(ग) [illegible]	[illegible]
					(घ) [illegible]	[illegible]
					(ङ) [illegible]	[illegible]

			3	महिला		01
			4	दैनिक नियोजित/भूतपूर्व सैनिक		01
			5	अनुसूचित जनजाति हेतु		00
	खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।	पूर्ति निरीक्षक	1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित		00
			2	दिव्यांगजन	(क) दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टि	00
					(ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले	00
					(ग) चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, उपचारित कुष्ठ रोगी, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सम्मिलित हैं।	01
					(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक अस्वस्थता	00
					(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिन्हित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।	00
			3	महिला		04
			4	दैनिक नियोजित/भूतपूर्व सैनिक		02
			5	अनुसूचित जनजाति हेतु		00

नोट-1- उपर्युक्त सारिणी में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार ही रखा गया है।

नोट-2- क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख संबन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन के अनुसार ही किया गया है।

नोट-3- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 द्वारा शासनादेश सं0-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13-01-2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह "क", "ख", "ग" "घ" श्रेणी के पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

5.1- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना रिक्तियों का 02 प्रतिशत उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक- 20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।

5.2- दैनिक नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की गणना रिक्तियों का 05 प्रतिशत उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 18/1/95-का-2/99-टी०सी०-2, दिनांक 09-09-1999, संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक-20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।

5.3- उपर्युक्त सारिणी-2 में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)अध्यादेश, 2018 में निहित व्यवस्था एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

5.4- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा योजित विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने

वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.5- शासनादेश संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 के प्राविधानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.6- उपर्युक्त सारिणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार (लम्बवत एवं क्षैतिज) रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

5.7- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों / शासनादेशों में निर्धारित नीति-निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

<u>6 -अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) -</u> उपर्युक्त सारिणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है-

<u>सारिणी-03</u>

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
01	उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।	प्रवर वर्ग सहायक	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- 1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
02		अवर वर्ग सहायक	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- 1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
03	खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।	पूर्ति निरीक्षक	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु-सीमा-

7.1- तालिका-01 व 02 में उल्लिखित विभाग से संबन्धित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

7.2- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

7.3- शासनादेश दिनांक 28-11-1985 के अनुसार क्रीड़ा क्षेत्रों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

7.4- भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 03 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवावधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है।

7.5- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश के अद्यतन, नवीनतम, विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

7.6- उपर्युक्त प्रस्तर- 7.2 से प्रस्तर-7.5 में उल्लिखित आयुसीमा में छूट संबंधी प्राविधान समस्त विज्ञापित पदों पर लागू होंगे।

8- आरक्षण-

8.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

8.2- इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजनों तथा महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक अध्यादेश/ अधिनियम/ शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार रिक्तियाँ होने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

8.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

9- चयन का आधार (लिखित परीक्षा)-

प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती नीति एवं प्रक्रिया नियमावली-2015, दिनांक- 11 मई, 2015 एवं कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 व

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-[illegible] का 3-2020-13/17/2020, दिनांक 30.1[illegible].2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

उपरोक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथासमय पृथक से प्रकाशित किया जायेगा।

11-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

यदि विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

12.1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

12.2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगा, अनुमन्य होगी।

12.3- **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।**

12.4- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे।

12.5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उसका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा

12.6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उसका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

12.7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप हो।

12.8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 01 जनवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

12.9- जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर ले जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट तिथि से प्रस्तुत करना होगा।

12.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई०ए०/2001 का-4-2013 दिनांक 27 मार्च,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

12.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.12- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विहित नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

12.13-महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/99-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

12.14-हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

12.15-आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

12.16-परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

12.17-आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिकवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12.18-किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

12.19-आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12.20-कदाचार अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

12.21-आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहे।

12.22-आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

12.23- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

12.24-यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

12.25- अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

12.26-अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

21.04.2022

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ।

परिशिष्ट

[illegible] के लिए जाति प्रमाण-पत्र

[illegible]

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद नाम ....

[illegible]

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

[illegible]

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद नाम ....

[illegible]

[illegible]

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No. ....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ....

Son/Wife/Daughter of Shri .... age ....

Sex .... Identification mark (S) .... is suffering from permanent disability of following category

A. Locomotor of cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of .... years .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No

(ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No

(iii) L-can perform work by lifting. Yes/No

(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No

(v) B-can perform work by bending. Yes/No

(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No

(vii) ST-can perform work by standing. Yes/No

(viii) W-can perform work by walking. Yes/No

(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No

(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No

(xi) PDs can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. .....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/ Hd
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती .... निवासी ग्राम–............................, तहसील–............................, नगर–............................, जिला–............................ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).. पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).. के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक..........................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... ग्राम/मोहल्ला.......................... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड.......................... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे अधिक।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर ...... (कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

(जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)